

142

उभय पक्ष उपाधीत पीठासीन अधिकारी राजकीय
कार्य से बाहर है। अवकाश पर है / पदरिक्त है।
अतः पत्रावली दिनांक 29.11.22 को पेश हो।

रीडर

उपखण्ड अधिकारी माण्डल

10
29
24

उभय पक्ष उपाधीत पीठासीन अधिकारी राजकीय
कार्य से बाहर है। अवकाश पर है / पदरिक्त है।
अतः पत्रावली दिनांक 12.11.22 को पेश हो।

रीडर

उपखण्ड अधिकारी माण्डल

12-11-22

पत्रावली चतुर्थ राष्ट्रीय लोक अदालत कैंप मोडल
में पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित, अप्रार्थीगण के
सम्मन बाद तामिल होकर प्राप्त हुए जिसे शामिल
पत्रावली किया गया। वकील प्रार्थी का प्रार्थना पत्र
स्वीकार किया जाकर निर्णय पृथक से लिखा जाकर
शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली फ़ैसल कुमार
द्वारा जम्बर से कम हो।

उपखण्ड अधिकारी
माण्डल जिला भीलवाड़ा



न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, माण्डल जिला भीलवाड़ा (राज0)

अधिकारी- नारायण लाल जीनगर (आर0ए0एस0)

क्रमा- 159/22 प्रपत्र

श्री. सोहनदास स/0 श्री. होंगादास वैरागी निवासी- जातरिया तहसील-माण्डल

-प्रार्थी

बनाम

श्री. शेकरदास स/0 श्री. होंगादास वैरागी निवासी- जातरिया तहसील-माण्डल (वैरागी)
(सिद्धांत प्रमाण प्रकरण)

-विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा.भू.रा. अधि. 1956

दिनांक - 12.11.22

::आदेश::

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा.भू.रा. अधि. 1956 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन
ग्राम...जातरिया.....पटवार हल्का जातरिया.....तहसील माण्डल में उसके
खाते की आराजी नं. 396/673 कुल किता 01 रकबा 0.8500
त हैं। वादग्रस्त भूमि के विपक्षीगण के मध्य आराजी मुतदायिवा के सीमा चिन्ह नहीं होने से आये
संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहता है। जिसमें प्रार्थी अपने खाते/संयुक्त खाते की भूमि की
आदेश प्रदान कराये जावें।


प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में दिनांक 16.06.22 को पंजीबद्ध किया जाकर प्रकरण को
से यह बात सिद्ध है कि वादग्रस्त भूमि प्रार्थी एवं कब्जे काशत की होने से पत्थरगढी कराने का
वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अधिकार निर्धारित किये जाते हैं। अतः इन तथ्यों को देखते
की न्यायिक सिद्धान्त के आधार पत्र स्वीकार योग्य है।

::आदेश::

प्रार्थना पत्र धारा 111-128 रा.भू.रा. अधि. 1956 का स्वीकार किया जाकर ग्राम जातरिया पटवार
जातरिया तहसील माण्डल में उसके खाते/संयुक्त खाते की आराजी नं. 396/673
01 रकबा 0.8500 हेक्टर भूमि के चारों तरफ सीमा की पुख्ता जानकारी
हेतु पत्थरगढी किये जाने का आदेश किया जाता है। पत्थरगढी किये जाने हेतु भू-अभिलेख
भावाजपुरा को 500/- रुपये/- कमिश्नर फीस पर कमिश्नर फीस जमा होने
की मौजूदगी में मौके व कब्जे की यथास्थिति को बनाये रखते हुए मुस्तकील चिन्दु को आधार
पत्थरगढी की जावें। फसल खडी होने पर पत्थरगढी नहीं की जावें।


उपखण्ड अधिकारी
माण्डल जिला भीलवाड़ा

तहसीलदार माण्डल को भेजकर लेख है कि प्रार्थी द्वारा राशि जमा कराने पर नियमानुसार
की जाकर पालना रिपोर्ट 07 दिवस में प्रस्तुत करें।


उपखण्ड अधिकारी
माण्डल जिला भीलवाड़ा